GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, dated 09 .12.2021**

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

CORRIGENDUM

Sub: Revised MoU to be entered into with Private empanelled hospitals.
Ref:- Railway Board's letter of even no. dated 22.11.2021.

Railway Board vide letter referred above has circulated a revised MoU to be entered into with the Private Empanelled Hospitals. The last line of point no. 16 at page no. 11 of MoU may be read as follows "If they have given the same to one Railway then they need **not** give to other Railway since if one hospital is empanelled with a particular Railway then it is deemed empanelled by other Railway too and other Railways can simply sign the MoU with them in same term and conditions for beneficiaries from their Railways".

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 09.12.2021**

Copy to:

1. **The Pr. Chief Medical Directors/Chief Medical Officers, All Indian Railways/Production Units.**
2. **The PFA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.**

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 09.12.2021**

Copy to:

3. **The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.**
4. **The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.**

for Member Finance/Railway Board.

Copy to: F(E) Spl. Branch, Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2021**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

शुद्धिपत्र

विषय: निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ किया गया संशोधित समझौता ज्ञापन।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.11.2021 का समसंख्यक पत्र।

रेलवे बोर्ड द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को परिपत्रित किया गया है। समझौता ज्ञापन के पृष्ठ सं.11 पर पाइंट सं.16 में अंतिम लाइन को निम्नानुसार पढ़ा जाए "यदि वे इसे एक रेलवे को दे चुके हैं तो इसे अन्य रेलों को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि एक अस्पताल किसी एक रेलवे के साथ पैनलबद्ध है तो उसे अन्य रेलों के साथ पैनलबद्ध माना जाएगा और अन्य रेलें समान निबंधन एवं शर्तों पर उनकी रेलों से लाभार्थियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकती हैं"।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2021**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2021**

प्रतिलिपि:

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: एफ (ई) विशेष और स्वास्थ्य शाखा रेलवे बोर्ड